"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2006—आश्विन 21, शक 1928

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 4580/7357/2006/20.—राज्य शासन एतद्द्वारा बी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम-2006 के नियम 8 में (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ड) स्थापित करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में—

1. नियम 8 में (ड) निम्नानुसार स्थापित किया जाये :—

काउंसिलिंग के समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/- रु. (अक्षरी तीन सौ पचास रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय, के साथ उपस्थित होंगे.

Raipur, the 10th October 2006

NOTIFICATION

No. 4580/7357/06/20.—State Government hereby establishes following section "m" after the section "l" at the rule 8 in Chhattisgarh B. Ed. Pravesh rule 2006 for admission in B. Ed. Course, namely :—

AMENDMENT

In the above said rules—

1. In rule 8 section "m" should be established namely :—

In the time of counseling candidate should appear with original certificated documents and crossed Bank Draft of Rs. 350/- (Rupees Three Hundred Fifty only) in favour of Director, State Council of Educational Research and Training payable at Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.